प्रेस नोट दिनांक- 16.09.2025 जनपद प्रतापगढ़

थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में थाना फतनपुर पुलिस द्वारा गंभीर मारपीट की घटना में शामिल 02 अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त हथियार बरामद-

थाना फतनपुर पुलिस द्वारा हत्या का प्रय़ास, मारपीट के अभियोग से संबंधित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त 01 अदद कुल्हाड़ी, 01 अदद लाठी,01 अदद लकड़ी का डंडा बरामद-

अभियुक्तों को थाना फतनपुर क्षेत्रान्तर्गत जगनीपुर बाग के पास से गिरफ्तार किया गया है-

प्रतापगढ़।
वादी नि०ग्राम जगनीपुर बिच्छूर थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ द्वारा थाना फतनपुर पर तहरीर दी गई थी दिनांक- 15.09.025 को शाम विपक्षीगण आनन्द पाण्डेय सुत कृष्ण कुमार पाण्डेय, हरवल पाण्डेय s/o आनन्द पाण्डेय, शिवकुमार दूबे s/o लालता प्रसाद दूबे,व दो अज्ञात नि० ग्राम उपरोक्त पूर्व योजनानुसार एक राय होकर भद्दी -2 गालियां देते हुऐ हाथ में लाठी डण्डा, कुल्हाड़ी लेकर वादी के भतीजे को जान से मारने की नियत से मार-पीट की उसका भतीजा गिर कर बेहोश हो गया। आरोपीगण जान मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग गये। जिसके संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना फतनपुर में मु0अ0सं0-205/2025 धारा- 191 (2)/191 (3)/115(2)/352/351 (3)/109 (1) BNS का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी फतनपुर श्री राजेन्द्र त्रिपाठी के नेत्तृत्व में उ0नि0 प्रभांशु कुमार राय मय हमराह का0 सुजीत, का0 ध्रुवेश कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0-205/2025 धारा- 191 (2)/191 (3)/115(2)/352/351 (3)/109 (1) BNS से संबंधित 02 अभियुक्तों, 1. आनन्द पाण्डेय उर्फ गुड्ड पुत्र कृष्ण कुमार पाण्डेय उर्फ ननकऊ निवासी ग्राम जगनीपुर थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 47 वर्ष, 2. शिवकुमार दूबे उर्फ लल्लू पुत्र लालता प्रसाद निवासी ग्रीम जगनीपुर थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 37 वर्ष को घटना में प्रयुक्त 01 अदद कुल्हाड़ी, 01 अदद लाठी,01 अदद लकड़ी का डंडा को थाना फतनपुर क्षेत्रान्तर्गत जगनीपुर बाग के पास से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. आनन्द पाण्डेय उर्फ गुड्डू पुत्र कृष्ण कुमार पाण्डेय उर्फ ननकऊ निवासी ग्राम जगनीपुर थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 47 वर्ष।
2. शिवकुमार दूबे उर्फ लल्लू पुत्र लालता प्रसाद निवासी ग्रीम जगनीपुर थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 37 वर्ष।

पूछताछ का विवरण-
पूछताछ पर अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि दिनांक 15.09.2025 को गांव के ही वादी के भतीजे व उसके भाई से कहासुनी व मारपीट हुयी थी। वादी के भतीजे के सिर में चोटे आ गयी थी। वह अस्पताल में भर्ती है जहां उसकी स्थिति गंभीर है। लोगो से पता चला है कि हम लोगो के खिलाफ थाने पर मुकदमा भी लिखा गया है। इसी कारण हम लोग डर से बाहर भागना चाह रहे थे कि आप लोगो ने पकड़ लिया। तत्पश्चात् लाठी डंडा व कुल्हाड़ी के बारे में पूछने पर बता रहे हैं कि इसी बाग में ही छिपाकर रखा है। अभियुक्तगण की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 01 अदद कुल्हाड़ी, 01 अदद लाठी,01 अदद लकड़ी का डंडा बरामद किया गया।

बरामदगी-
घटना में प्रयुक्त 01 अदद कुल्हाड़ी, 01 अदद लाठी,01 अदद लकड़ी का डंडा बरामद किया गया।

पुलिस टीम-
उ0नि0 प्रभांशु कुमार राय मय हमराह का0 सुजीत, का0 ध्रुवेश कुमार थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना-लीलापुर, जनपद-प्रतापगढ़

थाना लीलापुर पुलिस को बड़ी सफलता – चोरी के संबंध में 01 अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार-

थाना लीलापुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार 01 अभियुक्ता के कब्जे से चोरी का 01 अदद लाकेट(पीली धातु), 01 अदद झुमकी (पीली धातु), 11 अदद पायल(सफेद धातु), 02 अदद पावजेब(सफेद धातु), 26 अदद बिछिया(सफेद धातु), 01 अदद गले की चैन (सफेद धातु), 01 अदद माथ टीका(सफेद धातु), 01 अदद खोसनी(सफेद धातु), 02 अदद तोड़ा(सफेद धातु), 02 अदद सिक्के (सफेद धातु) नगद बरामद

थाना लीलापुर पुलिस द्वारा थाना लीलापुर क्षेत्रान्तर्गत शमशेरगंज लीलापुर तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया -

घटना का विवरण-

दिनांक 11.09.2025 की रात्रि को वादी ग्रा० पतुलकी (जराइया) थाना लीलापुर व परिजन घर में सोये हुए थे, सुबह जब आंख खुली तो देखा कि कमरे खुले पड़े थे। और उसमे लगा ताला भी नहीं था। जब उसने अन्दर जाकर देखा तो आलमारी खुली पड़ी थी। वादी की पत्नी के सोने-चांदी के आभूषण व गुल्लक रुपये गायब थे। जिसके संबंध में थाना लीलापुर पर वादी की तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 235/25 धारा 305/331 (2) बीएनएस बनाम 02 नामजद अभियुक्त का अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री संजय राय(IPS) व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी लीलापुर श्री मनोज कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में उ0नि0 पवन कुमार वर्मा, उ0नि0 दीपक कुमार यादव मय हमराह का प्रेमदत्त,का0 हरेन्द्र सिंह, म0पीआरडी ऊषा देवी द्वारा चेकिंग सदिग्ध व्यक्ति, सदिग्ध वाहन, तलाश वाछिंत व सक्रिय अपराधी, पेन्डिग विवेचना के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना लीलापुर पर मु0अ0सं0 235/25 धारा 305/331 (2) बीएनएस से संबंधित 01 अभियुक्ता खुशबू सिंह पत्नी विनय सिंह उम्र करीब 25 वर्ष निवासी ग्राम जरैया पतुलकी थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ को थाना लीलापुर क्षेत्रान्तर्गत शमशेरगंज लीलापुर तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्ता के कब्जे से चोरी का 01 अदद लाकेट(पीली धातु), 01 अदद झुमकी (पीली धातु), 11 अदद पायल(सफेद धातु), 02 अदद पावजेब(सफेद धातु), 26 अदद बिछिया(सफेद धातु), 01 अदद गले की चैन (सफेद धातु), 01 अदद माथ टीका(सफेद धातु), 01 अदद खोसनी(सफेद धातु), 02 अदद तोड़ा(सफेद धातु), 02 अदद सिक्के (सफेद धातु) नगद बरामद किये गये। उक्त बरामदगी के आधार मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गई।

गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण-
01. खुशबू सिंह पत्नी विनय सिंह उम्र करीब 25 वर्ष निवासी ग्राम जरैया पतुलकी थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

पूछताछ का विवरण-
पूछताछ करने पर अभियुक्ता ने बताया कि ये आभूषण मैने अपने सास के चुराये है, जिसे मैने दिनांक 11.09.2025 की रात्रि को उनके कमरे मे जाकर चुराया था। ये सभी आभूषण मेरे सास के ही है। मैने अपनी सास के चोरी किये शेष अन्य आभूषणो को फेरी वालो को बेच दिया था तथा उससे मिले पैसो को मैने खर्च कर दिया। मैने अपने आभूषणो की भी चोरी हो जाना अपने सास ससुर से झूठ मे ही कह दिये थे, वह मेरे पास ही है।

बरामदगी-
चोरी का 01 अदद लाकेट(पीली धातु), 01 अदद झुमकी (पीली धातु), 11 अदद पायल(सफेद धातु), 02 अदद पावजेब(सफेद धातु), 26 अदद बिछिया(सफेद धातु), 01 अदद गले की चैन (सफेद धातु), 01 अदद माथ टीका(सफेद धातु), 01 अदद खोसनी(सफेद धातु), 02 अदद तोड़ा(सफेद धातु), 02 अदद सिक्के (सफेद धातु) बरामद किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-
उ0नि0 पवन कुमार वर्मा, उ0नि0 दीपक कुमार यादव मय हमराह का प्रेमदत्त,का0 हरेन्द्र सिंह, म0पीआरडी ऊषा देवी थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराध व अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

छल व धोखाधड़ी करने के अभियोग में वांछित 01अभियुक्त गिरफ्तार-

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत बाबूपट्टी नहर पुलिया वहद ग्राम बाबूपट्टी से गिरफ्तार किया गया-

छल व धोखाधड़ी के 2000/-रु0 नगद व एक अदद पैनकार्ड, एक अदद आधार कार्ड व घटना में प्रयुक्त 01 अदद मो०सा० फर्जी नम्बर प्लेट लगी बरामद-

घटना का संक्षिप्त विवरण-
आरोपीगण द्वारा छल व धोखाधड़ी के माध्यम से वादी को गेहूँ सस्ते दामों में देने कहकर पैसे लेकर भाग जाने के प्रकरण में वादी की प्राप्त तहरीर के आधार पर दिनांक-16.09.2025 को थाना रानीगंज में मु0अ0सं0 317/25 धारा 304(2) बीएनएस बनाम 02 व्यक्ति अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के पर्यवेक्षण में थाना रानीगंज प्रभारी निरीक्षक श्री प्रभात कुमार सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 महेश कुमार सिंह मय हमराह का0 विकास बाबू, का0 मुकेट पटेल द्वारा देखभाल क्षेत्र/संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग, विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान थाना रानीगंज के मु0अ0सं0 317/25 धारा 319 (2)/318 (4) बीएनएस से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त संदीप कुमार यादव पुत्र श्रीराममोहन यादव उम्र करीब 35 वर्ष निवासी ग्राम ओझला थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़ को 2000/-रु0 नगद व एक अदद पैनकार्ड, एक अदद आधार कार्ड व घटना में प्रयुक्त 01 अदद मो०सा० फर्जी नम्बर प्लेट

लगी के साथ थाना क्षेत्रान्तर्गत बाबूपट्टी नहर पुलिया वहद ग्राम बाबूपट्टी से गिरफ्तार किया गया। मुकदमा उपरोक्त में उक्त बरामदगी के आधार पर धारा 317 (2) की बढोत्तरी की गई व बरामद मोटर साइकिल को धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-
अभियुक्त संदीप कुमार यादव पुत्र श्रीराममोहन यादव उम्र करीब 35 वर्ष निवासी ग्राम ओझला थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-
1- 2000/-रु0 नगद व 01 अदद पैनकार्ड,01 अदद आधार कार्ड।
2- घटना में प्रयुक्त 01 अदद मो०सा० फर्जी नम्बर प्लेट।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 महेश कुमार सिंह मय हमराह का0 विकास बाबू, का0 मुकेट पटेल थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़।

थाना आसपुर देवसरा पुलिस की बड़ी सफलता– दुष्कर्म, अपहरण व पॉक्सो एक्ट के प्रकरण में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना आसपुर देवसरा पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को थाना आसपुर देवसरा क्षेत्रान्तर्गत सुल्तापुर रोड़ राजू मिस्त्री के दुकान के पास से गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी आसपुर देवसरा श्री विजेंद्र सिंह के नेतृत्व में थाना आसपुर देवसरा के उ0नि0 हरीन्द नारायण राय मय हमराह आरक्षी अजीत चौहान के नेतृत्व में थाना आसपुर देवसरा के उ0नि0 हरीन्द नारायण राय मय हमराह आरक्षी अजीत चौहान द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वाछित, वारण्टी अभियुक्त, पेण्डिंग विवेचना के दौरान मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 363/366/120बी/376 (3) व 5/6 पाक्सो एक्ट से संबंधित 01 अभियुक्त नवीन कुमार गौतम पुत्र महाजन गौतम निवासी ग्राम पूरा थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ उम्र लगभग 26 वर्ष को थाना आसपुर देवसरा क्षेत्रान्तर्गत सुल्तापुर रोड़ राजू मिस्त्री के दुकान के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1- नवीन कुमार गौतम पुत्र महाजन गौतम निवासी ग्राम पूरा थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ उम्र लगभग 26 वर्ष ।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 हरीन्द नारायण राय मय हमराह आरक्षी अजीत चौहान थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़

थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़

खोए/चोरी गए मोबाइल फोन की बरामदगी एवं सुपुर्दगी

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार के निर्देशन में गुमशुदा एवं चोरी हुए मोबाइल फोनों की बरामदगी हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, सहायक पुलिस अधीक्षक नगर/ क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर प्रभारी निरीक्षक श्री नीरज कुमार यादव की टीम द्वारा उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की गई है।

दिनांक 16 सितम्बर 2025 को CEIR (Central Equipment Identity Register) पोर्टल से प्राप्त तकनीकी सूचनाओं के आधार पर थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा कुल 10 मोबाइल फोन बरामद किए गए। समस्त मोबाइल फोनों को विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए संबंधित स्वामियों को थाना परिसर में औपचारिक रूप से सुपुर्द किया गया।

इस अवसर पर मोबाइल प्राप्त करने वाले नागरिकों द्वारा प्रतापगढ़ पुलिस के इस सराहनीय प्रयास हेतु आभार प्रकट किया गया। साथ ही, थाना स्तर पर उपस्थित पुलिस अधिकारियों द्वारा उपस्थित नागरिकों को मोबाइल गुमशुदगी या चोरी की स्थिति में त्वरित रिपोर्ट दर्ज कराने एवं CEIR पोर्टल पर मोबाइल का विवरण अपलोड करने की प्रक्रिया के प्रति जागरूक किया गया।

मुख्य तथ्य:
कुल 10 मोबाइल फोन बरामद कर वैध स्वामियों को सुपुर्द।
CEIR पोर्टल एवं तकनीकी सहयोग के माध्यम से त्वरित ट्रेसिंग।
जनसामान्य से शीघ्र सूचना एवं सहयोग प्रदान करने की अपील।

जनहित में अपील:

जनपद पुलिस आम नागरिकों से यह अपील करती है कि यदि मोबाइल फोन चोरी या गुम हो जाए तो उसकी तत्काल सूचना निकटतम थाने में दर्ज कराएं एवं https://www.ceir.gov.in पोर्टल पर उसका विवरण अपलोड करें, जिससे मोबाइल की बरामदगी शीघ्र सुनिश्चित की जा सके।

बरामदगी में सम्मिलित पुलिस टीम:
01. क0 आप0 विकेश रावत, 02. का0 मिथिलेश तिवारी, 03. का0 सन्तोष यादव(थाना कोतवाली नगर)

तकनीकी सहयोग (सर्विलांस टीम):
का0 सनोज कुमार

थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना सांगीपुर पुलिस द्वारा आत्महत्या, दुष्कर्म के प्रकरण में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया-

थाना सांगीपुर क्षेत्रान्तर्गत किशोरी की आत्महत्या प्रकरण में नामजद अभियुक्त शिवांशु शुक्ला को थाना सांगीपुर पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार

अभियुक्त को थाना सरायलखन्सी, जनपद मऊ के थाना परिसर से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।

प्रतापगढ।
दिनांक 15.09.2025 को थाना सांगीपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम चिचिहरा में लगभग 15 वर्षीय किशोरी द्वारा फाँसी लगाकर आत्महत्या किए जाने की सूचना प्राप्त होने पर थाना स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुँची तथा शव का पंचायतनामा व पोस्टमार्टम की कार्यवाही नियमानुसार सम्पन्न कराई गई। घटना स्थल का निरीक्षण राजपत्रित अधिकारियों द्वारा किया गया है।

उक्त घटना में वादी चिचिहरा भवानीगंज थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ के द्वारा थाना सांगीपुर पर तहरीर दी गई थी कि उसकी बहन उम्र लगभग 15 वर्ष फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। उसकी मृत्यु का मुख्य कारण उसके बगल का एक लडका शिवांशु शुक्ला पुत्र संतोष शुक्ला निवासी उपरोक्त द्वारा उसकी बहन को शादी झांसा देकर गलत कार्य किया गया है, शिवांशु शुक्ला द्वारा शादी करने से मना कर दिया था। उक्त प्रार्थना पत्र के आधार धारा 65(1)/107Bns और 3/4 पक्सो एक्ट बनाम शिवांशु शुक्ला का अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय(IPS) व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी सांगीपुर श्री मनीष कुमार त्रिपाठी मय हमराह उ0नि0 सुमित सिंह, का0 रामनिवास यादव व का सर्वेन्द्र सिंह चौहान द्वारा पेण्डिंग विवेचना के दौरान अन्तर्गत धारा 65(1)/107Bns और 3/4 पक्सो एक्ट से संबंधित 01 अभियुक्त शिवांशु शुक्ला पुत्र संतोष शुक्ला नि० ग्राम चिचिहरा थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष को थाना सरायलखन्सी, जनपद मऊ के थाना परिसर से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
शिवांशु शुक्ला पुत्र संतोष शुक्ला नि० ग्राम चिचिहरा थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष।

पुलिस टीम-
थाना प्रभारी सांगीपुर श्री मनीष कुमार त्रिपाठी मय हमराह उ0नि0 सुमित सिंह, का0 रामनिवास यादव व का सर्वेन्द्र सिंह चौहान थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़

थाना कोतवाली नगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई – 1 किलो 200 ग्राम नाजायज गांजा बरामद, अभियुक्त गिरफ्तार
नशे के कारोबार पर पुलिस का प्रहार – थाना कोतवाली नगर पुलिस ने 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार
एनडीपीएस एक्ट में कार्यवाही – 1.2 किलो नाजायज गांजा बरामद
मुखबिर की सूचना पर पुलिस की दबिश – गांजा के साथ अभियुक्त रंगे हाथ गिरफ्तार
पुलिस अधीक्षक डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में थाना कोतवाली नगर पुलिस की प्रभावी कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्वेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री नीरज कुमार यादव थाना कोतवाली नगर के नेतृत्व में थाना पुलिस टीम द्वारा मादक पदार्थ की तस्करी/नाजायज कारोबार करने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की गई।

दिनांक 15.09.2025 को 22.50 बजे सुनील कुमार गुप्ता मय हमराह हे का0 श्रीराम मौर्या व चालक का0 योगेन्द्र कुमार द्वारा क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग, तलाश वांछित/वारण्टी के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर पूर्वी सहोदरपुर रेलवे कॉलोनी में सीडीओ ऑफिस के पास दबिश देकर अभियुक्त रविशंकर पुत्र

शिवशंकर उर्फ गुड्डू उम्र 50 वर्ष निवासी रामलीला मैदान पडाव वार्ड थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त
रविशंकर पुत्र शिवशंकर उर्फ गुड्डू उम्र 50 वर्ष निवासी रामलीला मैदान पडाव वार्ड थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया।

बरामदगी
अभियुक्त के कब्जे से 1 किलो 200 ग्राम नाजायज गांजा व 150 /- रुपये बरामद

कानूनी कार्यवाही
अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 445/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।

पुलिस टीम
सुनील कुमार गुप्ता मय हमराह हे का0 श्रीराम मौर्या व चालक का0 योगेन्द्र कुमार

"जनपद में नशे का कारोबार समाज को खोखला कर रहा है, ऐसे अपराधियों के विरुद्ध पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। किसी भी दशा में नशे का धंधा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। आमजन से अपील है कि नशा तस्करी या नशा कारोबार की सूचना तत्काल पुलिस को दें, ताकि कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।"